न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :- 131 / 2022 पीठासीन अधिकारी

रज्जू दिनांक 03-06-2022 **श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)**

तेजाराम पुत्र पन्नालाल जाति माली उम्र 68 वर्ष निवारी निवासी बालमाला की ढाणी वार्ड नं0 27 कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
2. रामगोपाल पुत्र मूलचन्द
3. महेश पुत्र विश्राम
4. रामधन पुत्र गोरधन
5. जितेन्द्र पुत्र रामधन
6. मनभावन पुत्र भौरीलाल
7. आनन्द कुमार पुत्र मनभावन
8. सत्यप्रकाश पुत्र हरकेश

} समस्त जाति माली निवासी बालमाला की ढाणी वार्ड नं0 27 कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थीगण)

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने सीमाज्ञान पत्थरगढी</u>

निर्णय दिनांक : 18/7/22

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 1099 रकबा 10 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा स्थित है। जिसका प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। जिसके चारो ओर प्रार्थी ने चारो तरफ तारबंन्दी कर रखी है व प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि से पडौसी खातेदारान का कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नही है फिर भी वरवक्त जुताई बुआई के समय प्रार्थी की खातेदारी की लगी डोल व तारबन्दी को खुर्द बुर्द कर कृषि भूमि दबाने व उक्त वर्णित कृषि भूमि में जबरन कच्चा पक्का निर्माण कार्य करने का प्रयास करते रहते है। प्रार्थी व पडौसी काश्तकारो के आपस मे मेडबन्दी व तारबन्दी को लेकर एवं कच्चा

पक्का अवैध निर्माण बाबत विवाद हो जाने पर करीब 3 – 4 बार आपसी सहमती से पटवारी हल्का को ले जाकर सीमाज्ञान भी करवा लिया जिससे वरवक्त पडौसी काश्तकार सन्तुष्ट भी हो गये। परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि को जबरन हड़पने एवं उक्त आराजी पर जबरन कच्चा पक्का निर्माण कार्य करने को आमादा है। जिसका की अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 को कोई हक अधिकार हांसिल नही है। पडौसी काश्तकार अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 अवैध तरिके से प्रार्थी की कृषि भूमि को हड़पने के उद्देश्य से प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि पर लगी डोल व तारबंन्दी को नुकसान पहुचाकर नष्ट करने पर आमादा रहते है इस कारण प्रार्थी आराजी वादग्रस्त की पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकारी है। दिनांक 30–05–2022 को श्रीमान तहसीलदार जी लालसोट प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार महोदय लालसोट द्वारा पत्थर गढी करवाये जाने बाबत क्षेत्राधिकार नही होने से कारण समक्ष न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत की जिस पर प्रार्थी द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया। प्रार्थी को कानूनन हक अधिकार हांसिल है कि माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश कर अपनी कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 1099 रकबा 10 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट का सीमाकंन कर प्रशासन एवं पुलिस इमदाद से पत्थगढी करवाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर व तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से पत्थरगढी बाबत रिपोर्ट ली गई एवं वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 का नाम हजब करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिशल किया गया जो अस्वीकार किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 की ओर से श्री घनश्याम सैनी एडवोकेट ने वकालतानामा एवं जवाब मय ब्लूप्रिंट नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण वास्ते बहस नियत किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी गई वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुये एव तहसीलदार लालसोट की प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय हाजा के समक्ष प्राप्त हो चुकी है जिसमे तहसीलदार लालसोट द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 1099 रकबा 10 बिस्वा किस्म चाही प्रार्थी तेजाराम पुत्र धन्ना कौम माली साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होना व मौके पर भूमि खाली होने एवं वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान/पत्थरगढी किये जाने की अनुशंषा की है तथा वादग्रस्त आराजी में होकर किसी प्रकार का कोई रास्ता स्थित होने बाबत तहसीलदार लालसोट द्वारा कोई अंकन

नही किया गया तथा ना ही मौके पर कोई रास्ता स्थित है अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 की ओर से प्रस्तुत जवाब व नक्शे में बिन्दुओ द्वारा वादग्रस्त आराजी में होकर रास्ता बताया गया है व सरासर असत्य व काल्पनिक है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 के मकानात वगैरहा उनकी निजी खातेदारी भूमि मे स्थित है एवं वर्षो पूर्व से ही अन्यत्र होकर आवागमन हेतू वैकल्पित रास्ता मौजुद है जिसमे होकर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 व उनके पूर्वजो द्वारा वर्षो पूर्व से ही आवागमन किया जा रहा है परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 लठैत किस्म के व्यक्ति है जिन्होने प्रार्थी की खातेदारी भूमि के चारो तरफ पूर्व से ही गड्डु व तारबंदी को नुकसान पहुचा कर नष्ट करने पर आमादा हो गये जिसके सम्दर्भ मे प्रार्थी व उसके परिवारजनो द्वारा जरिये इस्तगासा 107, 116 (3) जा. फौ. द्वारा परिशान्ति बनाये रखने व प्रार्थी के गड्डु व तारबन्दी को नष्ट नही करने हेतू पाबन्द भी करवा रखा है जो न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन है अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 की ओर से मानचित्र नक्शा काल्पनिक व झुठे तथ्यो के आधार पर मनमुताबिक बनाकर कौनसे खसरा नम्बर का है बिना अंकित किये नक्शा मानचित्र प्रस्तुत किया है उसे पढा जाना उचित प्रतित नही होता है व मनमुताबिक फौटो मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है जो निराधार है जबकि अप्रार्थीगण अवैध रूप से लाठी के बल पर जबरदस्ती वैकल्पिक रास्ता मौजुद होने के उपरान्त भी प्रार्थी की तनहा खातेदारी वादग्रस्त भूमि में होकर रास्ता निकलवाने पर आमादा है जिसका की अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 को कोई हक अधिकार हांसिल नही है। इसलिए वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान पत्थरगढी प्रशासन मय पुलिस इमदाद करवाने का प्रार्थी को कानूनन हक अधिकार हांसिल है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया तथा वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 ने निवेदन किया कि प्रस्तुत नजरी नक्शा में बिन्दु आई.जे.के.एफ. पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 के 70–80 वर्षो पूर्व से मकानात बने हुये है तथा वादग्रस्त आराजी में होकर ही बाडे पर जाने का रास्ता है वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान नही हुआ तथा ना ही तारबंदी को हमारे द्वारा नुकसान कारित किया हमारे रास्ते को छोडते हुये पत्थरगढी करवावे व विचारणीय प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने बहस उभय पक्षकारान व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया तहसील लालसोट ने अपनी रिपोर्ट मे विवादित आराजी खसरा नं0 1099 रकबा 10 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

जिला दौसा की भूमि वर्तमान मे मौके पर खाली होना व प्रार्थी की खातेदारी भूमि होने एवं वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने की अनुशंषा की है प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि दो कुशल गिरदावर/पटवारीयान की टीम गठित कर आराजी खसरा नं0 1099 रकबा 10 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा वाली भूमि का पहले सीमाज्ञान पत्थरगढी कायम करावे तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें साथ ही नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थी से प्राप्त करें। इस आशय की तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/2/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मोहरसिंह मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
लालसोट